

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/3/24 को पेश हो।


20/3/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/4/24 को पेश हो।

4/4/24

पत्रावली पेश हुई। बकूलाब कप.। P.O. साहब पुनः कार्य में व्यवस्था होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार प्रार्थना पत्र संख्या 683/2023 दिनांक 17/5/24 को पेश हो। उतनवान गिरवर वगैरे बनाम भूमिधारी

17/5/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.नं. 710/1 रकबा 0.3244 हैक्ट. ख.नं. 711/1 रकबा 0.2970 हैक्ट. ख.नं. 903/712 रकबा 0.14 हैक्ट. का प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 17.06.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम भगोट पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 710/1 रकबा 0.3244 हैक्ट. ख.नं. 711/1 रकबा 0.2970 हैक्ट. ख.नं. 903/712 रकबा 0.14 हैक्ट. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बावत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।


उपस्थित जजिदारी
जिला नीमकाथाना (राज.)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भगोट पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 710/1 रकबा 0.3244 हैक्ट. ख.नं. 711/1 रकबा 0.2970 हैक्ट. ख.नं. 903/712 रकबा 0.14 हैक्ट. की प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर क्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

